रजिस्ट्री सं० डी०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 283] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 29, 2013/कार्तिक 7, 1935
No. 283] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 29, 2013/ KARTIKA 7, 1935

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
अधिसूचना

हैदराबाद, 21 अक्तूबर , 2013

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बैठक) (पहला संशोधन) विनियम, 2013

फा. सं. बी.वि.वि.प्रा./विनियम/23/81/2013.—बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41), की धारा 25 के साथ पठित धारा 26 की उप-धारा (2) के खंड (ङ) और उप-धारा (1)द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् : —

1. (1) ये विनियम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बैठक) (पहला संशोधन)विनियम, 2013 कहलाएँगे ।

2. ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण(बैठक)विनियम, 2000 में -,

वर्तमान विनियम 3(2) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"3(2) प्राधिकरण अपने कार्य-संपादन के लिए अपनी बैठक प्राय: आवश्यकता के अनुसार, परंतु एक कैलेण्डर वर्ष में कम से कम चार बार आयोजित करेगा।"

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/161/13/असा.]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
NOTIFICATION

Hyderabad, the 21st October, 2013

Insurance Regulatory Development Authority (Meetings) (Frist Amendment), Regulations, 2013

F. No. IRDA/Reg./23/81/2013.—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) and sub-section (1) of Section 26, read with Section 25 of Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations to amend the Insurance Regulatory and Development Authority (Meetings) Regulation, 2000, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority (Meetings) (First Amendment) Regulations, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insurance Regulatory and Development Authority (Meetings) Regulations , 2000,—

For the existing Regulation 3 (2), the following shall be substituted:—

"3 (2) The Authority shall meet, as often as may be necessary but not less than four times in a calendar year, to transact its business "

T. S. VIJAYAN , Chairman

[ADVT. III/4/161/13/Exty.]

4571 GI/2013

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.